

अन्तिम डिक्की मुकदमे इब्दादाई
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-143/2011

- | | |
|------------|--|
| 1. कृष्ण | पिसरान पुरखाराम, जाति जाट, साकिन वार्ड नं. 23, |
| 2. अमरचन्द | मण्डी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला |
| 3. हरीराम | हनुमानगढ़ |
| 4. हेतराम | |



-वादीगण

बनाम

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. गिरधारीराम | पिसरान पुरखाराम, जाति जाट, |
| 2. पूर्णराम | साकिन वार्ड नं. 23, मण्डी पीलीबंगा, |
| 3. अर्जुनी/जीतराम | तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ |
| 4. अजमेर | |
5. भीयाराम पुत्र पुरखाराम, जाति जाट, साकिन वार्ड नं. 23, मण्डी पीलीबंगा, हाल चक 27 एस.टी.जी., विजय दुगड़ की ढाणी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा
7. शाखा प्रबंधक, हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा पीलीबंगा ।
8. विद्यादेवी पत्नी उदराम पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन किसनपुरा पो.ओ राजपुरा पिपेरण तहसील सूरतगढ़ ।
9. गुड्डी देवी पत्नी कृष्ण लाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन रतनपुरा ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जगजीत सिंह रमाणा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री शलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरुका अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्की निम्नानुसार किया जाता है विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्की का भाग रहेगा-

- (1) कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:-चक नं. 11 पीबीएन पत्थर नं. 35/304 किला नं. कुल 11,12,13 की .759 हैक्. 19/1/.127 हैक्. 886 हैक्टर
- (2) अमरचन्द पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:-11 पीबीएन प.न. 35/304 14,15,20 की .759 हैक्. 19/2/.126 हैक्. कुल 885 हैक्.

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ़

- (3) हरीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:- चक 9 पीबीएन बी प.न. 46/306 2,3,4 की .759 है. किला न. 5/.084 हैक. कुल .843 हैक.
- (4) हेतराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:- 9 पीबीएन बी 46/306 7,8,9 की .759 हैक. 10/.084 कुल 0.843 हैक्टर
- (5) बलवीर राम-चुन्नी राम पिसरान गिरधारी लाल रामेश्वरी-संतोष पुत्रियां गिरधारी लाल रुकमा देवी पत्नि गिरधारी लाल ब.हि.ब. जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार -11 पीबीएन 35/304 16 ता 18 की .759 है. व चक 9 पीबीएन बी 46/306 किला न. 10/.084 दोनो चकों की कुल 0.843 हैक्टर
- (6) पूर्णराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:- 11 पीबीएन 35/304 21,22,23 की .759 हैक. किला न. 24/.084 हैक. कुल .843 हैक.
- (7) जीतराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:- 9 पीबीएन बी 46/305 21/1/.190 हैक. प.न. 46/306 1,6 की .506 हैक. 5/.169 कुल 0.865 हैक्टर
- (8) अजमेर पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन दुलमानी खातेदार:- 11 पीबीएन 35/304 1/2/.164, 10/.253, 24/.169, 25/.253 की कुल 0.839 हैक्टर
- (9) रामप्रताप-श्रीराम पिसरान भीयाराम जाति जाट साकिन वार्ड न. 23 पीलीबंगा मंडी बहिब खातेदार- चक पीबीएन बी 46/306 10/.085 11,12,13 की .759 हैक. कुल 0.844 हैक्टर ।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार रकमराज अलग कायम करे उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमित बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड ~~कलेक्टर~~ कलेक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा इनुमानगठ

